न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 44/2023

1 सुमित्रा पत्नी श्री नरेन्द्र उम्र 60 वर्ष जाति यादव निवासी ग्राम सागा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 बुधराम पुत्र श्री हेतराम उम्र 50 वर्ष जाति अहीर निवासी पृथ्वीपुरा, पोस्ट सागा, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2 ग्यारसी देवी पत्नी जयनारायण
3 चन्दगीराम पुत्र जयनारायण
4 चन्दरो देवी पत्नी प्रसादाराम
5 नरेश पुत्री जयनारायण
6 प्रभाती लाल पुत्र मातादीन
7 फुलचन्द पुत्र तोलाराम
8 बजरंगलाल पुत्र प्रसादाराम
9 बनवारी पुत्र तोलाराम
10 मदन पुत्र हरलाल
11 मदन पुत्र हरलाल
12 मुन्नी पुत्री हरलाल
13 राजकुमार पुत्र प्रसादाराम
14 लाली देवी पुत्री हरलाल
15 विशवम्भर दयाल पुत्र तोलाराम
16 शारदा पत्नी निहाल सिंह
17 शारदा पुत्री जयनारायण
18 शीशराम पुत्र जयनारायण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

19 संजय पुत्र नरेन्द्र
20 सुमन पुत्री हरलाल
21 सरोज पुत्री हरलाल
22 हरीश पुत्र नरेन्द्र
समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम सागा, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
23 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
24 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा ढ़ाणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
25 लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश निर्णय दिनांक 07.02.2023
अदालत उपखण्ड अधिकारी बुहाना उनवानी
बुधराम बनाम ग्यारसी देवी वगैरह मुकदमा नं.
58/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री अलीशेर खान, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 6.6.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 58/2022 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने धारा 251 ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर वाके ग्राम सागा तहसील बुहाना स्थित खसरा नम्बर 197 में से स्थित रास्ता से खसरा नम्बर 197 में से आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 208 रकबा 0.67 हैक्टेयर तक खसरा नम्बर 208 की उत्तरी पूर्वी सीमा के सामने से खसरा नम्बर 197 में से 10 फीट चौड़ाई में रास्ता कायम कर उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर इसे मौके पर भी 10 फीट चौड़ाई में सीमाकन एवं मापन कर कायम किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवदेन स्वीकार किया हैं। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट गलत व विधि प्रावधानों के विपरित पेश की गई जिसको आधार मानकर यह निर्णय पारित किया गया जो काबिले खारिज है। रिपोर्ट में खसरा नम्बर 197 के मध्य से डोटेड रास्ता दिखाया है जबकि नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 197 में किसी प्रकार का कोई रास्ता कटान का नहीं है जिसको रास्ता मानकर कम दूरी व नजदीकी रास्ता मानकर भी निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का खेत खसरा नम्बर 208 व उनके परिवार व भाईयों के खेत खसरा नम्बर 207, 209 स्थित है जिनके रास्ता सड़क कटान का लगता है और यहां यह भी उल्लेखनिय है कि खेत खसरा नम्बर 207, 208, 209 विभाजन के पूर्व में एक ही खेत व खसरा में है जो अब आपस में पारिवारिक भाईयों के है। विभाजन के वक्त खेत खसरा 208 को रास्ता कटान के रास्ते तक पहले दिया जाना चाहिये था। कानून की नजरों में जहां कटान का रास्ता नजदीकी लगता है, वहां ही रास्ता दिया जावें। सबसे नजदीकी रास्ता अपीलांट संख्या 1 को खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

207 से कटान का रास्ता तक मात्र 110 मीटर की दूरी है, वहां से रास्ता कटान किया जाना चाहिये था। ऐसा ना करके यह निर्णय विधि विरूद्ध व पत्रावली पर आयी दस्तावेजी साक्ष्य विपरित होने के कारण काबिले खारिज है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना का निर्णय दिनांक 07.02.2023 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों द्वारा किये गए अभिवचनों के आधार पर तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिन्होनें आवेदक द्वारा चाहे गये स्थान पर रास्ता 24 गुणा 4 कुल 96 वर्गमीटर का प्रस्तावित किया तथा खसरा नम्बर 560/207 व 209 की सीमा पर से दूसरा रास्ता प्रस्तावित किया जो 110 गुणा 4 कुल 440 वर्गमीटर का हैं उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी संख्या 20 व 22 ने आपत्ति प्रस्तुत की एवं निवेदन किया कि रिपोर्ट उनकी उपस्थिति में नहीं बनाई गई रिपोर्ट को झुठा होना बताया तथा खसरा नम्बर 197 में से कोई रास्ता नहीं होना एवं उक्त खेत में से रास्ता दिये जाने से उक्त खेत के कई टुकड़ें होने का उज्र उठाया आवेदक ने उक्त आपत्ति पर मौखिक बहस की दोनों पक्षों की बहस सुनी गई आवेदक ने निवेदन किया कि मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं एवं तहसीलदार द्वार प्रस्तुत रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया हैं कि खसरा नम्बर 197 में मौके पर रास्ता हैं एवं इस रास्ते पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सागा से लेकर निमली जोहड़ी तक ग्रेवल सड़क बनाकर रास्ता का दुरूस्तीकरण एवं समतलीकरण किया हुआ है एवं इसी रास्ते से आवेदक के खेत तक 24 गुणा 4 मीटर प्रस्तावित रास्ता है। तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी संख्या 20 व 22 की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं हैं क्योंकि खसरा नम्बर 197 में से मौके पर रास्ता मौजूद है एवं उस पर ग्रेवल सड़क बनी हुई हैं जहां से केवल 24 मीटर लम्बाई एंव 4 मीटर चौड़ाई में आवेदक को रास्ते की आवश्यकता हैं एवं उसके पास

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर